अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं0 13 (111) /2017–18

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
15/12/17	आवेदिका अर्चना गोस्वामी पति राजेन्द्र नाथ गोस्वामी सा0 – प्रोफेसर कॉलोनी चिरागोड़ा, हीरापुर , जिला धनबाद ने मौजा भूदा मौजा नं0 48, खाता नं0 26 प्लॉट नं0 12 रकवा 02 1/2 कट्टा के अन्तर्गत कायम जमाबंदी सं0 90 में कायम था। परन्तु वर्तमान में जमाबंदी फटा हुआ है। जिसे पुनर्लेखन कर लगान रसीद निर्गत हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से माँग करें। अभिलेख दिनांक 30/12/17 को रखें। अंचल अधिकारी, धनबाद।	
30/12/17	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा भूदा मौजा नं0 48, खाता नं0 26 प्लॉट नं0 12 रकवा 02 1/2 कट्टा का लगान जमाबंदी सं0 90 में राजेन्द्र नाथ गोस्वामी , दिपेन्द्र नाथ गोस्वामी के नाम से कायम नहीं है। आवेदिका के पति राजेन्द्र नाथ गोस्वामी द्वारा बताया गया कि रसीद में अंकित रकवा 05 कट्टा जिसमें मेरे भाई के नाम से 02 1/2 कट्टा ऑनलाईन में चढ़ गया है शेष रकवा 02 1/2 कट्टा मेरे नाम से यानी राजेन्द्र नाथ गोस्वामी पिता सतीश चन्द्र गोस्वामी के जमाबंदी को पुनर्लेखन कर दिया जाए ताकि मैं अपना नाम ऑनलाईन में चढ़ा सकूँ। परन्तु वर्तमान में जमाबंदी पंजी ।। फटा हुआ है। जिसे पुनर्लेखन करने हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा भूदा मौजा नं0 48, खाता नं0 26 प्लॉट नं0 12 रकवा 02 1/2 कट्टा भूमि का कायम जमाबंदी सं0 90 जो वर्तमान मे फटा हुआ है, फटे हुए जमाबंदी सं0 90 को पुनर्लेखन करते हुए बकाए की तिथि से लगान वसूल करें तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, धनबाद। अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं0 ...

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापांक 135 दिनांक 17/01/17

प्रेषित,

श्री नवीन कुमार सिन्हा
राजस्व कर्मचारी , हल्का नं0 III, धनबाद।

आपके जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि मौजा भूदा मौजा नं0 48, खाता नं0 26 प्लॉट नं0 12 रकबा 02 1/2 कट्टा भूमि का कायम जमाबंदी सं0 90 जो वर्तमान में फटा हुआ है, फटे हुए जमाबंदी सं0 90 को पुनर्लेखन करते हुए वकाए की तिथि से लगान वसूल करें

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned with CamScanner

सेवा में

श्रीमान अंचल अधिकारी,
धनबाद।

द्वारा:- अंचल निरीक्षक, धनबाद

विषय:- मौजा भूदा थानासं० 48 खातासं० 26 प्लॉट सं० 12 परिमाण 2½ कट्ठा का अमलदी पुनर्लेखन के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

प्रस्तुत जमीन मौजा भूदा मौजा सं० 48 खाता सं० 26 प्लॉट सं० 12 रकबा 2½ कट्ठा रैयती खाते की है। आवेदन में संलग्न रसीद के अनुसार पंजी II से जाँच किया तो पाया कि ज०सं० 90 राजेन्द्रनाथ गोस्वामी, दिपेन्द्रनाथ गोस्वामी के नाम से कायम नहीं है। आवेदिका के पति राजेन्द्रनाथ गोस्वामी द्वारा बताया गया कि रसीद में अंकित रकबा 5 कट्ठा जिसमें से मेरे भाई के नाम से 2½ कट्ठा online में चढ़ गया है शेष रकबा 2½ कट्ठा मेरे नाम से यानि राजेन्द्रनाथ गोस्वामी पिता सतीश चन्द्र गोस्वामी के से अमलदी पुनर्लेखन कर दिया जाय ताकि मैं अपना नाम online में चढ़ा सकूँ। लगान रसीद वर्ष 99-2000 तक निर्गत है तथा जमीन पर कब्जा कायम है।

अतः अमलदी पुनर्लेखन किया जा सकता है।

विश्वास भाजन

[signature]
18/12/17

K.C.

संलग्न कागजात सहित सं. का मिलान हल्का में संधारित जमा (पंजी) (कागज) से मिलान करें, तदनुसार प्रतिवेदन शीघ्र दें।

[signature]
18.12.17
C.I.

प्र.ले
[signature]

चल अधिकारी का कार्यालय

Date : ....

सेवा में

अंचल अधिकारी
धनबाद।

विषय: मौजा धुदा थाना नंबर ४८ खाता नंबर [illegible] शामिल प्लाट नम्बर 12 (बारह) परिमाण [illegible] कट्ठा का जमाबंदी मेरे नाम खोलने के सम्बन्ध में।

21/11/[illegible]

महोदय,

निवेदन है कि विषयोक्त जमीन मैंने पंजीकृत निबंधित दानपत्र दलील संख्या ४८३३ दिनांक २५-८-८८ द्वारा श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी पिता स्व० सतीश चन्द्र गोस्वामी से प्राप्त किया है।

उक्त जमीन पर मैं शान्तिपूर्वक निवास कर रहा हूँ।

अतः निवेदन है कि उक्त जमीन का जमाबंदी मेरे नाम करते हुए सरकारी रसीद काटने का आदेश देने की कृपा करें।

और इसके लिये मैं सदा आपका आभारी रहूँगी। निबंधित दानपत्र दलील संख्या ४८३३ दिनांक २५-८-८८ की छायाप्रति संलग्न है।

12.01.01

विश्वासभाजन,

Archana goswami.

(अर्चना गोस्वामी)

प्रोफेसर कालोनी, चीराकोड़ा
हीरापुर, धनबाद।

Scanned with CamScanner